

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक-8/मुक0न्यास वि0रा0धा0प0कर्म0संघ-02-13/2012-..... (8)/रा0, पटना-15, दि0- / /2016

शुद्धि-पत्र

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

विषय – सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-4652/2002 बिहार राज्य धार्मिक परिषद् कर्मचारी संघ एवं अन्य वनाम बिहार सरकार एवं अन्य के मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-18.01.2012 एवं दिनांक-19.09.2012 को पारित न्यायादेश के आलोक में बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद् से निबंधित/अनिबंधित सम्बन्धित धार्मिक संस्थानों (मठ, मठिया, मंदिर इत्यादि) से सम्बन्धित भूमि जो बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत अर्जित की गई है, के मुआवजा भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में 12,40,141=00 (बारह लाख चालीस हजार एक सौ एकतालीस) रू0 मात्र भुगतान की स्वीकृति से संबंधित स्वीकृत्यादेश सं0-361(8)/रा0 दिनांक-21.03.2016 के कंडिका-4 में आंशिक संशोधन के संबंध में।

आदेश – स्वीकृत।

2. स्वीकृत्यादेश सं0-361(8)/रा0 दिनांक-21.03.2016 की कंडिका-4 में टंकण भूलवश यथा-उक्त स्वीकृत राशि मुख्य शीर्ष 2506 भूमि सुधार, उपमुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-101 जोतों और काश्तकारी का विनियमन, उप शीर्ष-0002 बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत अर्जित अवशेष भूमि के विरुद्ध मुआवजा माँग संख्या-40 विपत्र कोड-N2506001010002 के विषय शीर्ष 3312 के स्थान पर 3302 मुआवजा से विकलनीय होगा, पढ़ा जाय।

3. स्वीकृत्यादेश सं0-361(8)/रा0 दिनांक-21.03.2016 की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


ह0/-
(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-8/मुक0न्यास वि0रा0धा0प0कर्म0संघ-02-13/2012-..... (8)/रा0, पटना-15, दि0- / /2016
प्रतिलिपि:-समाहर्ता, सारण/भागलपुर/मधेपुरा/मुजफ्फरपुर/वैशाली एवं खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के संयुक्त सचिव।

FAX
Email

ज्ञापांक:-8/मुक०न्यास वि०रा०धा०प०कर्म०संघ-०२-१३/२०१२-३४५ (८)/रा०, पटना-१५, दि०-२४/३/२०१६
प्रतिलिपि:-सभी सम्बन्धित प्रमंडलीय आयुक्त बिहार/सभी सम्बन्धित जिला कोषागार पदाधिकारी सूचना
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के संयुक्त सचिव।